न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 70/2007 तारीख रजू:– 03.08.2007

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली – मृतक

1/1. श्रीमति कलावती वेवा राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी गीता टाकीज के सामने, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

1/2. विष्णुचंद शर्मा पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी गीता टाकीज के सामने, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

1/3. महेश शर्मा पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी गीता टाकीज के सामने, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

1/4. दिनेश शर्मा पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी गीता टाकीज के सामने, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

1/5. श्रीमति विजयलक्ष्मी शर्मा पुत्री राधेश्याम पत्नि सुरेश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी जरिये प्रशांत शर्मा

1/6. श्रीमति कान्ता शर्मा पुत्री राधेश्याम पत्नि प्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सोहन लाल माली का मकान, राजीव नगर, महा मंदिर जोधपुर।

1/7. श्रीमति ऊषा शर्मा पुत्री राधेश्याम पत्नि जगदीश शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कुडी भगतासनी, जोधपुर।

1/8. श्रीमति उमा शर्मा पुत्री राधेश्याम पत्नि मदनमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी परसुराम खिडकियां, चटीकना मौहल्ला, करौली।

2. हरिचरण लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी केशवपुरा, हिण्डौन सिटी जिला करौली। ——— सायलान

बनाम

1. कैलाशचंद	पिसरान श्री रामस्वरूप
2. शिवचरण	जाति ब्राह्मण
3. हीरालाल	निवासी केशवपुरा, हिण्डौन सिटी
4. वीरेन्द्र कुमार	तहसील हिण्डौन
5. दिनेश चंद	जिला करौली राजस्थान।

6. पुष्पा उम्र 47 साल पुत्री रामस्वरूप, पत्नि चतुर्भज जाति ब्राहमण निवासी श्रीमहावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

7. कमला उम्र 45 साल पुत्री रामस्वरूप, पत्नि विन्तामणि जाति ब्राहमण निवासी श्रीमहावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।

8. दर्शन उम्र 43 साल पुत्री रामस्वरूप, पत्नि बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी वजीरपुर, तहसील गांगपुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर ।

9. श्रीमति गोपाली आयु 55 साल पत्नि रमेश चंद		जाति ब्राह्मण
10. मनोज कुमार आयु 33 साल	पिसरान	निवासी केशवपुरा
11. जितेन्द्र कुमार आयु 30 साल	रमेश	हिण्डौन

12. श्रीमति राजकुमारी आयु 35 साल पुत्री रमेशचंद पत्नि हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी सहराकर, तहसील टोडाभीम जिला करौली।

13. रमाकांत आयु 46 साल	पिसरान श्यामलाल जाति ब्राहमण
14. वेदप्रकाश आयु 44 साल	केशवपुरा हिण्डौन सिटी

15. महेन्द्र उम्र महेश आयु 43 साल दत्तक पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी केशवपुरा, हिण्डौन सिटी जिला करौली।

15/1. आशा शर्मा पत्नि वेदप्रकाश चतुर्वेदी	जाति सभी ब्राहमण निवासी
15/2 ममता चतुर्वेदी पत्नि पवन चतुर्वेदी	वर्धमान नगर, वमनपुरा बगीची
15/3. वेदप्रकाश चतुर्वेदी पुत्र विशम्भर दयाल	हिण्डौन सिटी

15/4. योगेश कुमार शर्मा पुत्र भरतलाल शर्मा जाति ब्रामहण निवासी शिव कोलोनी हिण्डौन

16. हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन तामील जरिये शाखा प्रबंधक।

17. लेन्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी। —गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री रिद्धीचन्द जैन एडवोकेट सायलान

2. श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट गैरसायल

निर्णय

दिनांक :— 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध ए दीवानी वाद बाबत घोषणा खातेदारी व तकास्मा आराजीयात व हुक्म इम्तनाई दवामी माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया हैं, जिसमें सायलान को सफलता की पूरी–पूरी उम्मीद हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 ता 1/8 के पति मृतक राधेश्याम तथां सायल नम्बर–2 तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान नम्बर–1 ता 15 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे हैं, सजरा में अंकित किया है कि लोडीराम के दो लडके परसादीलाल (लाऔलाद फौत), बिहारीलाल थे। बिहारीलाल के चार पुत्र कन्हैयालाल (फौत), रामजीलाल (फौत), रामसहाय, श्यामलाल (फौत) थे। कन्हैयालाल (फौत) के तीन लडके राधेश्याम (सायल नं01), रामस्वरूप, हरीचरण (सायल नं01), तथा रामस्वरूप के वारिस कैलाश चन्द (गैरसायल नं01), शिवचरण (गैरसायल नं02), हीरालाल (गैरसायल नं03), वीरेन्द्र कुमार (गैरसायल नं04), दिनेशचन्द (गैरसायल नं05), पुष्पा (गैरसायल नं06), कमला (गैरसायल नं07), दर्शन (गैरसायल नं08) हैं। रामजीलाल (फौत) के वारिसान महेन्द्र उर्फ महेश (गैरसायल नं0 15) है, श्यामलाल (फौत) के वारिसान रमाकान्त (गैरसायल नं013), वेदप्रकाश (गैरसायल नं014), रमेशचन्द हैं तथा रमेशचन्द के वारिसान गोपाली (गैरसायल नं09), मनोज (गैरसायल नं010), जितेन्द्र (गैरसायल नं011), राजकुमारी (गैरसायल नं012) हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि स्वर्गीय श्री लोडीराम की समस्त आराजीयात की खातेदारी उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके बड़े पुत्र स्वर्गीय श्री परसादी लाल के नाम दर्ज हुई, लेकिन श्री परसादी लाल के लाऔलाद फौत होने के कारण उनकी समस्त आराजीयात की खातेदारी उनके भाई श्री बिहारीलाल जी के पुत्रगण स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल, रामजीलाल, रामसहाय व श्यामलाल के नाम दर्ज हुई, जिनमें से श्री रामसहाय अपने हिस्से की आराजीयात को लेकर अलग हो गये, जिनके नाम अलग खाता दर्ज कर दिया गया तथा स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल, रामजीलाल एवं श्यामलाल की आराजीयात संयुक्त खातेदारी में रही।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर–3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर–5458/9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर–5459/9830 रकबा 0.09 है0, कुल किता–15, कुल रकबा–4.00 है0, वाके कस्बा–हिण्डौन, तहसील हिण्डौन में स्थित हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–4 प्रार्थना–पत्र की खातेदारी के खाने में सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 तथा गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर–1 लगायत 8 के पूर्वज स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी का 1/3 हिस्सा, गैरसायल नम्बर–9 के पति तथा गैरसायलान नम्बर–10 ता 12 के पिता श्री रमेश चन्द तथा गैरसायलान नम्बर–13 व 14 का 1/3 हिस्सा तथा गैरसायल नम्बर–15 का 1/3 हिस्सा दर्ज हैं तथा उसके अनुरूप फरीकेन आराजीयात भुतदाविया पर बहैसियत खातेदार काश्तकार वास्तविक भौतिक रूप से संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 के पिता गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 के बाबा श्री कन्हैयालाल जी का स्वर्गवास हो चुका हैं, जिनके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड पर जरिये नामान्तरकरण संख्या–2115 दिनांक –01.03.2004 सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 तथा गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जा चुका हैं तथा वर्तमान में आराजीयात मुतदाविया की खातदारी में सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 तथा गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 का संयुक्त रूप से नाम दर्ज हैं। आराजीयात मुतदाविया में सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम का 1/9 एवं सायल नम्बर–2 का 1/9 हिस्सा तथा गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 का 1/9 हिस्सा हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 के मन में बदयान्ति आ गई हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माताजी श्रीमती लीलावती जिनका दिनांक 16.11.2006 को स्वर्गवास हो चुका हैं, की ओर से उक्त नामान्तरकरण संख्या–2115 मुतजिक्रा मद नम्बर–6 प्रार्थना–पत्र की अपील संख्या–11/04 उनवानी लीलावती बनाम राधेश्याम आदि, माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी। उक्त अपील में नामान्तरकरण संख्या–2115 की एक फाल्स, फोरज्ड एण्ड फैब्रिकेटेड वसीयतनामा, जो स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल द्वारा श्रीमति लीलावती के हक में करना बताया हैं, के द्वारा चैलेन्ज किया गया था, जबकि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–4 प्रार्थना–पत्र पैतृक आराजीयात थी, जिसमें सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके थे। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल द्वारा श्रीमति लीलावती के हक में तहरीर व तकमील करवाकर पंजीकृत कराई गई वसीयत कानूनन शून्य हैं, क्योंकि कानूनन कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ती की वसीयत ही करा सकता हैं। पैतृक सम्पत्ति की वसीयत जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं, कानूनन नहीं कराई जा सकती हैं। इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल द्वारा श्रीमति लीलावती के हक में कराई गई वसीयत विधि विरुद्ध होने के कारण अवैध हैं तथा बमुकाबले सायलान शून्य हैं। फिर भी गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 उक्त अवैध एवं विधि विरूद्ध वसीयतनामा की आड़ में आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–3 वाद–पत्र की खातेदारी के खाने में से सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 का नाम हजफ करवाकर केवल अपना नाम दर्ज करवाने पर आमादा हैं। गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 अपनी हठधर्मी पर आमादा हैं तथा आराजीयात मुतदाविया को अपनी क्लेम करने लग गये हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि लीलावती द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण मुतजिक्रा मद नम्बर–4 प्रार्थना–पत्र का निर्णय माननीय न्यायलय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2006 को इस प्रकार कर दिया हैं कि "प्रकरण तहसीलदार हिण्डौन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि यदि विवादग्रस्त आराजी स्वअर्जित पाई जावे तो बाद जांच पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकण खेलकर नियमानुसार तहरीर करावें" उक्त निर्णय के कारण गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 के हौसलें अत्यधिक बुलन्द हो गये हैं, लेकिन आराजीयात मुतदाविया का नामान्तरकरण उक्त नल एण्ड बोइड वसीयतनामा के आधार पर गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 के हक में खोला जाना सम्भव नहीं हैं, क्योंकि आराजीयात मुतदाविया स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल की स्वअर्जित सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति हैं, जिसके कारण गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 से अत्यधिक नाराज हो गये हैं तथा गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 ने दिनांक–26.07.2007 को सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 को यह ऐलानिया धमकी दी हैं कि वे उक्त नल एण्ड बोइड वसीयतनामा के आधार पर राजस्व अधिकारियों से साज करके आराजीयात मुताजक्रा मद नम्बर–4 प्रार्थना–पत्र का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवा लेंगे तथा यदि सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 ने अधिक विरोध किया तो आराजीयात मुतदाविया को अन्य लट्ठ वाले व्यक्तियों को विक्रय कर सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 को आराजीयात मुतदाविया से बेदखल कर क्रेतागण का कब्जा करवा देंगे। सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 ने गैरसायलान नम्बर–1 ता 8 को काफी समझाया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हैं तथा वे अपनी हठधर्मी पर आमादा हैं। यदि गैरसायला नम्बर–1 ता 8 अपनी उक्त वेजा कार्यवाही में सफल हो गये सायला

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतदाविया का रकबा 4.00 है0,हैं, जिसमें सायला नम्बर–1/1 के पति तथा सायलान नम्बर–1/2 लगायत 1/8 पिता मृतक राधेश्याम एवं सायल नम्बर–2 तथा गैरसायलान नम्बर–1 ता 15 सह–खातेदारान हैं, जिनका संयुक्त रूप से काश्त करना भी संभव नहीं हैं, आये दिन छोटी–छोटी बातों पर कहा सुनी होती रहती हैं तथा प्रत्येक सह–खातेदारान अपने हिस्से से अधिक भूमि काश्त करने की फिराक में रहता हैं। इसलिए आराजीयात मुतदाविया का विभाजन करने के लिए दिनांक–26.07.2007 को स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन गैरसायलान आपसी रजामन्दी से विभाजन करने को तैयार नहीं हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वर्तमान की जमाबन्दी के 1/3 हिस्से में गैरसायलान नम्बर–13 व 14 के साथ रमेश चन्द पुत्र श्यामलाल दर्ज हैं, लेकिन रमेश चन्द पिछले 15 वर्षों से लापता हैं, जिसके बारे में उक्त अवधि से कोई बात सुनी नहीं गई हैं और नाही उसे देखा गया हैं। इसलिए उसके स्थान पर उसके वारिशान को गैरसायलान नम्बर–9 ता 12 बनाया गया हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि गैरसायल नम्बर–15 के द्वारा अपनी भूमि कृषि ऋण मद्दे गैरसायल नम्बर–16 के यहाँ पंजीकृत रहन कर दी हैं, जिसका नाम बहेसियत मुर्तहन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसलिए उसे तरतीवी मुद्दाल य बनाया गया हैं। इसी प्रकार गैरसायल नम्बर–17 के लैण्ड हॉल्डर होने के कारण प्रतिवादी बनाया गया हैं। गैरसायलान नम्बर–16 व 17 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 के उपमद 11(अ) में दर्ज किया है कि दौराने दावा सायल नम्बर–1 राधेश्याम गा दिनांक–17.05.2010 का देवयोग से स्वर्गवास हो चुका हैं, उसने अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमति कलावती, तीन लड़के विष्णु चन्द शर्मा, महेश शर्मा एवं दिनेश शर्मा तथा चार पुत्रीया विजय लक्ष्मी शर्मा, कान्ता शर्मा, ऊषा शर्मा एवं ऊमा शर्मा छोड़ी हैं, जो मृतक के तर्के पर काबिज हैं तथा मृतक के वारिश जायज व कायम मुकाम कानूनी होने के कारण जिम्मेदार नतीजा मुकदमा हाजा हैं। इसलिए उन्हें मृतक के स्थान पर फरीक सायलान नम्बर–1/1 ता 1/8 बनाया गया हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं हैं, जबकि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्णनीय क्षति होंगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हैं। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया हैं कि गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे दौराने वाद आराजीयात खसरा नम्बर–3963, 5393, 5395, 5397, 5398, 5455, 5458, 5461, 5472, 5474, 5475, 5476, 5480, 5458/9829, 5459/9830 वाके कस्बा–हिण्डौन मुतजिक्रा मद नम्बर–4 प्रार्थना–पत्र के राजस्व रिकॉर्ड नल एण्ड बोइड वसीयतनामा मुतजिक्रा मद नम्बर–7 प्रार्थना–पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज नहीं करावें। उक्त आराजीयात को बिना बंटवारा हुए किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नहीं करें तथा उक्त आराजीयात से सायलान को नां तो स्वयं बेदखल करें नाही किसी अन्य के द्वारा करावें। उक्त आराजीयात के सायलान के शांति पूर्ण उपयो उपभोग को माने मजाहमत नां तो स्वयं करें और नाही किसी अन्य के द्वारा करावें। मौंके की स्थिति यथावत कायम रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.08.2007 को गैरसायल सं0 3,5,6,7,8 की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट एवं गैरसायल सं0 13 की ओर से श्री अशोक अवस्थी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा गैरसायल सं0 9,10,11,16,17 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 25.10.2007 को गैरसायल सं0 14 की ओर से बकालतनामा एवं गैरसायल सं0 13 की ओर से मीमा पेश किया तथा गैरसायल सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 22.07.2008 को गैरसायल सं0 14 की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट एवं गैरसायल सं0 15 की ओर से श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा गैरसायल सं0 9 ता 12, 16,17 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं0 12 की ओर से बकालतनामा पेश हुआ। दिनांक 11.12.2008 को गैरसायल सं02 की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया।

गैरसायल नं. 9 ता 11 ने जबाब प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश कर जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध एक दावा बावत घोषणा खातेदारी व तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा का सम्मानीय अदालत में पेश किया जाना स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 स्वीकार हैं।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार हैं ।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में आराजीयात का कस्बा हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में वसीयत वाली बात लाइल्मी अस्वीकार है। गैरसायल नं. 9 ता 11 को वसीयत के बारे में कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का गद नं. 8 लाइल्मी अस्वीकार है। दिनांक 26.07.07 को सायलान को गैरसायलान नं. 1 ता 8 द्वारा धमकी देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिये यह मद अस्वीकार हैं।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 अस्वीकार है। गैरसायलान नं. 9 ता 11 की सायलान से कोई कहन–सुन नहीं हुयी और गैरसायलान नं. 9 ता 11 अपने हिस्से से अधिक भूमि काश्त करने की फिराक में नहीं रहते हैं। दिनांक 26.07.07 को गैरसायलान नं. 9 ता 11 से सायलान ने विभाजन के लिये नहीं कहा है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 स्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में रहनवाली बात लाइल्मी अस्वीकार है शेष बातें इस मद में कानूनी हैं। मोहताज जबाब से इन्कारी है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 12 जिसको गलती से पुनः नं. 11 लिख दिया है, गलत है। अस्वीकार है। गैरसायलान नं.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

9 ता 11 को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। गैरसायलान नं. 9 ता 11 उक्त आराजी के अपने 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार स्वामी हैं। तथा खसरा नं. 5395, 5397, 5398 रकवा–115 –ऐयर को काश्त करते हैं। अपने 1/3 हिरसे से भी कम रकवा को काश्त कर रहे हैं। जबकि गैरसायलान नं. 9 ता 14 का कुल रकवा 133.33 ऐयर होता है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र टी.आई पेश कर निवेदन है कि गैररायलान नं. 9 ता 14 उक्त आराजीयात के अपने 1/3 हिस्सेनुसार रकवा 133.33 ऐयर के रिकार्डेड खातेदार स्वामी हैं।

गैरसायल नम्बर 3 हीरालाल, गैरसायल नं. 5 दिनेशचंद, गैरसायल नम्बर 6 पुष्पा, गैरसायल नम्बर 7 कमला, गैरसायल नम्बर 8 दर्शन की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान एवम् अन्य गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद–पत्र माननीय अदालत में पेश किया जाना स्वीकार है, लेकिन उनको हरगिज सफलता नहीं मिल सकती है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 का उत्तर यह है कि सायल और गैरसायलान एक मूल पुरूष लोडीराम के वंशज होना स्वीकार है। परन्तु इस चरण में जो सजरा दिया गया है, यह स्वीकार नहीं है। कन्हैयालाल जी, परसादीलाल जी कि गोदी पुत्र थे। इसलिये परसादी लाल जी के रामजीलाल, रामसहाय और श्यामलाल के अलावा तीन पुत्रियाँ श्रीमती नर्वदा, श्रीमती सम्पत्ति और रामवती भी है, जिनका कोई हवाला इस सजरे में नहीं दिया गया है। इसी प्रकार रामजीलाल की भी पुत्रियों का श्रीमती तुलसी व श्रीमती सुशीला का हवाला नहीं दिया गया है। इसी प्रकार श्यामलाल जी की पुत्रियों श्रीमती सुशीला, गीता व उर्मिला का ब्यौरा इस सजरे में दर्ज नहीं है, इसलिऐ यह सजरा स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 3 का उत्तर यह है कि लोडीराम जी के समस्त आराजीयात होना और लोडीराम जी के खातेदारी में होना स्वीकार नहीं है, बल्कि समस्त आराजीयात परसादी लाल पिता लोडीराम जी के कब्जे काश्त व खातेदारी की थी। परसादी लाल जी के लाऔलाद होने का तथ्य इस चरण में बदनियती से गलत लिखा है, जो स्वीकार नहीं है। परसादी लाल का गोदी पुत्र कन्हैयालाल का होना स्वीकार है। खातेदारी के इन्द्राज गलत व निराधार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एवम् वमुकाबले गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 नल एवड बोईड गैरकानूनी प्रभावहीन है। शेष कथन स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 4 का उत्तर यह है कि इस चरण में आराजीयात नम्बर रकबा जिस ढंग से अंकित किये गये है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 5 का उत्तर यह है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात परसादी लाल पिता लोडीराम जी के खातेदारी की थी, तथा उनके मरने के बाद उनके पुत्र कन्हैया लाल पिता परसादी जी के खातेदारी के व कब्जे में दर्ज हुई। कन्हैया लाल का इस चरण में 1/3 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है अन्य गैरसायलान का हिस्सा दर्ज होना भी स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 6 का उत्तर यह है कि कन्हैया लाल जी का स्वर्गवास होना स्वीकार है। नामान्तकरण सं0 2115 दिनांक 01.03.04 के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करना स्वीकार है, परन्तु गैरसायलान की जानकारी के वगैर खुलवाया गया है, जिसकी लीलावती पत्नि रामस्वरूप जी ब्राहम्ण द्वारा अपील की गयी है, जो प्रकरण संख्या 11/2004 जो दिनांक 27.06.06 को निर्णित होकर इन्तकाल दिनांक 01.03.04 को निरस्त किया गया है, इस प्रकार यह इन्तकाल खारिज हो चुका है। खातेदारी के इन्द्राजात गैरकानूनी वमुकाबले गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 बेअसर प्रभावहीन है, जब नामन्तकरण सं0 2115 ही खारिज हो गया तो अन्य इन्द्राजात खातेदारी स्वतः ही निरस्त हो जाते है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 7 का उत्तर यह है कि गैरसायलान की माता श्रीमती लीलावती का स्वर्गवास दिनांक 16.11.06 को हो गया है, यह तथ्य स्वीकार है। नामान्तकरण सं0 2115 जिसकी अपील 11.04.04 श्रीमती लीलावती द्वारा प्रस्तुत करना स्वीकार है, और माननीय अदालत द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर उक्त नामान्तकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन कन्हैया लालजी द्वारा कोई फाल्स फोरज्ड एण्ड फेबरीकेट वसीयतनामा श्रीमती लीलावती के पक्ष में होने का तथ्य अंकित किया है, वसीयतनामा फाल्स, फोरज्ड एण्ड फेब्रीकल नहीं है, बल्कि कन्हैया लाल जी ने अपने जीवन काल में दिनांक 23.06.98 को पूरे होश हवास के साथ श्रीमती लीलावती पत्नि रामस्वरूप जी ब्राह्मण के पक्ष में निष्पादित कर उसका विधिवत पंजीयन करा दिया है, और कन्हैया लाल जी के मरने के बाद से वसीयतनामे में अंकित सम्पत्ति की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

एकमात्र स्वामिनी श्रीमती लीलावती पत्नि रामस्वरूप जी जाति ब्राह्मण हो गयी थी और श्रीमती लीलावती के मरने के बाद उसे वसीयतनामे में अंकित सम्पत्ति के मालिक गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 हो गये है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित आराजीयात पैत्रिक सम्पत्ति होना स्वीकार नहीं, परन्तु कन्हैयालाल जी ने मौखिक विभाजन कर अपनी सम्पत्ति का हिस्सा सायलान को अपने जीवनकाल में ही दे दिया था और सायलान कन्हैया लाल जी के जीवनकाल में ही कन्हैया लाल जी से अलग होकर कन्हैया लाल जी द्वारा दी गयी सम्पत्ति से उपयोग उपभोग कर रहे हैं। सायलान ने अधिकांश बहुमूल्य आबादी की जमीन कन्हैया लाल जी से उनके जीवनकाल में प्राप्त करली और विवादित कृषि भूमि में कोई दिलचस्पी नहीं रही और इस कृषि भूमि को नहीं लेना चाहा। इसलिए कन्हैया लाल जी ने विवादित कृषि भूमि को अपने पास रखी और फिर वसीयत के माध्यम से श्रीमती लीलावती को रजिस्टर्ड वसीयत करा दी थी, और उनके मरने के बाद गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 के कब्जे में चली आ रही है। इसलिऐ सायलान का विवादित कृषि भूमि में कोई स्वतः अधिकार नहीं है। इस चरण में रजिस्टर्ड वसीयत नामे को शून्य होना अभिकथित किया है, जो स्वीकार नहीं है। सायलान ने आज तक रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य करार कराने के लिये कोई भी कार्यवाह नहीं की है, जबकि उनके इल्म में शुरू से ही है। कन्हैयालाल जी ने अपनी भूमि का वसीयतनामा अपनी इच्छानुसार श्रीमती लीलावती व उनके पुत्रों की सेवाचाकरी से प्रसन्न होकर किया है। जो बिल्कुल सही है। शेष कथन गलत है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 का उत्तर यह है कि श्रीमती लीलावती के द्वारा नामान्तकरण की अपील करना स्वीकार व न्यायालय द्वारा इस नामान्तकरण का निर्णय दि0 27.06.06 करना भी स्वीकार है। सायलान ने तत्कालीन समय में कन्हैया लाल जी के जीवनकाल में उनकी कोई सेवा नहीं की और उनसे हमेशा विवाद किया तथा कन्हैया लाल जी से अलग रहे रामस्वरूप जी व श्रीमती लीलावती ने पूरे मन व लगन से कन्हैया लाल जी की सेवा चाकरी की और उसी से प्रसन्न होकर यह वसीयतनामा कन्हैया लाल जी ने श्रीमती लीलावती के पक्ष में निष्पादित किया है, इसमें कुछ भी अवैधानिक नहीं है। ता0 27.06.07 को धमकी वाली बात गलत है। कपोल कल्पित कहानी अंकित की है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 9 का उत्तर यह है कि आराजीयात का रकबा 4.00 हैक्टेयर होना स्वीकार राजस्व अभिलेखों में शामलाती खातेदारी में भी होना स्वीकार है, किन्तु शामलाती खातेदारी गैर कानूनी व प्रभावहीन है। सायलान का इस कृषि भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। इसलिये सायलान के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साथ संयुक्त रूप से कास्त करने का तथ्य स्वीकार नहीं है, क्योंकि सायलान का विवादित भूमि में कोई स्वतः अधिकार नहीं है, ना ही कब्ज है, ना रहा है, इसलिये सायलान आराजीयात मुतदाविया का विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 26.07.07 को सायलान द्वारा गैरसायलान से बंटवारा कराने की कहने का तथ्य गलत है, जब उनका हिस्सा है ही नहीं तो किस प्रकार के बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि कन्हैया लाल जी ने उनके जीवन काल में उनका हिस्सा अलग करके उन्हें दे दिया है। इसलिये विवादित आराजीयात में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा था। इसलिये बंटवारा आराजीयात सायलान कराने के अधिकारी नहीं है। इस मद में इबारत कपोल कल्पित है, जो स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 10 का उत्तर यह है कि वर्तमान जमाबंदी में 1/3 हिस्से में रमेशचंद रमाकान्त वेदप्रकाश पिता श्यामलाल का नाम दर्ज है, जो गलत है, परन्तु रमेशचंद पिछले 15 वर्ष से लापता है, यह तथ्य स्वीकार नहीं है। सायलान स्वयं साबित करें। शेष कथन गलत है, स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 11 का उत्तर यह है कि गैरसायल सं0 15 द्वारा गैरसायल नम्बर 16 को कृषि भूमि ऋण लेकर रहन रख ली है। इस तथ्यों की कोई जानकारी गैरसायलान को नहीं है। चूंकि गैरसायल सं0 16 केन्द्रीय कोपरेटिव बैंक है और बैंक के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही और दो माह के नोटिस दिये राजस्थान कोपरेटिव अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है, चूंकि ऐसा कोई नोटिस सायलान ने गैरसायलान कोपरेटिव बैंक को दिया जाने का तथ्य अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना–पत्र कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है, चलने योग्य नहीं है, इसलिये चरण सं0 11 सम्पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 12 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है। यदि पाबंद कर दिया गया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में नहीं है। बल्कि सुविधा का संतुलन गैरसायलान के ही पक्ष में है।

विशेष कथन

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि सायलान ने यह दावा व प्रार्थना–पत्र बदनियती से आबादी जमीन का हिस्सा कन्हैया लाल जी के जीवन काल में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लेकर और कृषि भूमि में हिस्सा नहीं लेना चाहा और सायलान के इस व्यवहार के कारण स्व0 कन्हैयालाल जी ने आबादी की भूमि में उन्हें अधिक सम्पत्ति जिनका बाजार मूल्य इन कृषि भूमि से कहीं ज्यादा है, जो दी है। सायलान ने माननीय न्यायालय से इन तथ्यों को छुपाकर यह बंटवारे का दावा व प्रार्थना–पत्र हाजा पेश कर दिये है, चूंकि पूर्व में कृषि भूमि में हिस्सा नहीं लेना चाहा, इसलिऐ अब सायलान उक्त तथ्य से बिबन्धित स्टोप्ड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत यह दावा व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि यह सायलान ने यह दावा व प्रार्थना–पत्र गैरसायल सं0 16 व 17 के खिलाफ भी पेश किया है जब कि उनके विरूद्ध कोई भी दावा करने से पूर्व राज0 कोपरेटिव ऐक्ट के तहत तथा धारा 80 जा0दी0 के तहत दो माह का नोटिस देने के बाद ही पेश किया जाना चाहिये, ऐसा नहीं किया है। इसलिये प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि दावा बंटवारे का जो सायलान ने पेश किया है, उसमें कोटिनेन्टको पक्षकार नहीं बनाया है। वसीयत को सक्षम कोर्ट से निरस्त कराये बिना दावा चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र सायलान मय खर्चा खारिज किया जावे।

गैरसायलान नम्बर 13, 14 रमाकान्त, वेदप्रकाश ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी व तकास्मा आराजीयात व हुक्म इम्तनाई दवामी माननीय अदालत में पेश किया जाना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में आराजीयात का कस्बा हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में वसीयत वाली बात लाइल्मी अस्वीकार है। गेरसायल नम्बर 13, 14 को वसीयत के बारे में कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 लाइल्मी अस्वीकार है। दिनांक 26.07.07 को सायलान को गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 द्वारा धमकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिऐ यह मद लाइल्मी अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में गैरसायल नम्बर 13, 14 की सायलान से कोई कहा सुन नहीं हुयी और गैरसायल नम्बर 13, 14 अपने हिस्से से अधिक भूमि कास्त करने की फिराक में नहीं रहते है। दि0 02.07.07 को गैरसायलान नम्बर 13, 14 से सायलान ने विभाजन के लिये नहीं कहा है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में रहनवाली बात लाइल्मी अस्वीकार है, शेष बातें इस मद में कानूनी है, मोहताज जबाव से इंकारी है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान नम्बर 13, 14 को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है। गैरसायलान नं0 9 ता 14 उक्त आराजी के अपने 1/3 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार कास्तकार स्वामी है।

अतः जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि जबाव माननीय अदालत में पेश है। तथा गैरसायल नं0 9 ता 14 उक्त आराजी के अपने 1/3 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार कास्तकार स्वामी है।

गैरसायल नं0 12 राजकुमारी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में सायलान द्वारा गैरसायला के विरूद्ध एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी व तकास्मा आराजीयात व हुक्म इम्तनाई दवामी माननीय अदालत में पेश किया जाना स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 में आराजीयात का कस्बा हिण्डौन में होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 में वसीयत वाली बात लाइल्मी अस्वीकार है। गैरसायला नं0 12 को वसीयत के बारे में कोई जानकारी किसी प्रकार की नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 8 लाइल्मी अस्वीकार है। दिनांक 26.07.07 को सायलान को गैरसायलान नम्बर 1 ता 8 द्वारा धमकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिये यह मद लाइल्मी अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 में गैरसायला नं0 12 की सायलान से कोई कहन सुन नहीं हुयी है और गैरसायला अपने हिस्से से अधिक की गई भूमि कास्त करने की फिराक में नहीं रहते हैं, दिनांक 02. 07.2008 को गैरसायला से सायलान ने विभाजन के लिये नहीं कहा है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 11 में रहन वाली बात लाइल्मी अस्वीकार है। शेष बातें इस मद में कानूनी है, मोहताज जबाव से इंकारी है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 12 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायला को कानूनन पाबंद नहीं किया जा सकता है,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान नं0 9 ता 14 उक्त आराजी के अपने 1/3 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार स्वामी है।

अतः जबाव प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि जबाव माननीय अदालत के समक्ष पेश है।

गैरसायल नं0 15 ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद वादीगण सायलान द्वारा प्रस्तुत करना स्वीकार है। मगर दावा मय प्रार्थना पत्र हाजा एकदम गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये हैं। इसलिये सायलान को कोई सफलता मिलने के आसार नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 2 गलत है, अस्वीकार है। परिवार का सजरा गलत प्रस्तुत किया है परिवादी का सही सजरा अंकित करते हुए लोडीराम के दो लडके परसादीलाल (लाऔलाद फौत), बिहारीलाल थे। बिहारीलाल के चार पुत्र कन्हैयालाल (फौत), रामजीलाल (फौत), रामसहाय, श्यामलाल (फौत) एवं तीन पुत्रियॉ सम्पति, नर्वदा, रामवती थे। कन्हैयालाल (फौत) के तीन लडके राधेश्याम (सायल नं01), रामस्वरूप, हरीचरण (सायल नं01), तथा रामस्वरूप के वारिस कैलाश चन्द (गैरसायल नं01), शिवचरण (गैरसायल नं02), हीरालाल (गैरसायल नं03), वीरेन्द्र कुमार (गैरसायल नं04), दिनेशचन्द (गैरसायल नं05), पुष्पा (गैरसायल नं06), कमला (गैरसायल नं07), दर्शन (गैरसायल नं08) हैं। रामजीलाल (फौत) के वारिस दत्तक पुत्र महेन्द्र उर्फ महेश (गैरसायल नं0 15) है। श्यामलाल (फौत) के वारिसान रमाकान्त (गैरसायल नं013), वेदप्रकाश (गैरसायल नं014), रमेशचन्द, एवं तीन पुत्रियॉ सुशीला, गीता, उर्मिला हैं तथा रमेशचन्द के वारिसान गोपाली (गैरसायल नं09), मनोज (गैरसायल नं010), जितेन्द्र (गैरसायल नं011), राजकुमारी (गैरसायल नं012) हैं। रामसहाय के वारिस बिमला शान्ति दुलारी छोटी हैं दर्ज किये हैं।

इस प्रकार सायलान द्वारा मृतक बिहारी की 3 लडकियाँ मुस0 सम्पत्ति, नर्वदा व रामवती को सजरा में शामिल नहीं किया है। जो काबिले ऐतराज है। और नोन जोइन्डर्स ऑफ पार्टीज कानुक्ज आरिज है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 गलत है, अस्वीकार है। आराजीयात विवादग्रस्त मृतक परसादीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति रही है। उनकी मृत्यु के बाद विरासत के आधार पर खातेदारी मृतक कन्हैयालाल,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामजीलाल, रामसहाय व श्यामलाल के नाम तब्दील हुई है। इस प्रकार प्रत्येक का अपना अपना स्वअर्जित हिस्सा रहा है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 में वर्णित आराजीयात कस्बा हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार नहीं है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी का 1/3 हिस्सा स्वअर्जित था जिसे उसने अपने जीवन काल में अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की मां मु0 लीलावती के नाम जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.06.98 को तकमील तस्दीक करवा दी। जिसका वादीगण को उसी दिन से बखूबी पता है और वसीयत वादीगण की सहमति से ही करवायी गयी है और वसीयत दिनांक 03.02.2004 को मृतक कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद अमल में आ गयी और रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतक कन्हैया के हिस्से की अधिकारी मु0 लीलावती है अब उनकी दिनांक 16.11.2006 को मृत्यु हो जाने के बाद मृतक लीलावती के 1/3 हिस्से के मालिक खातेदार काश्तकार प्रतिवादी नं0 1 ता 8 है। भौतिक रूप से भी आराजीयात के 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 गलत है, अस्वीकार है। तथा कथित नामान्तकरण संख्या 2115 अवनीसियो बोईड है। सायलान का आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। नामान्तकरण खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार इस मद की सम्पूर्ण इबारज गलत अंकित करवा दी है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 गलत है, अस्वीकार है। वसीयत बहक लीलावती आज भी बरकरार है और किसी भी न्यायालय में उसे चैलेन्ज तक नहीं किया गया है वह स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसका भौतिक रूप से अमल हो गया है। क्योंकि मौके पर कब्जा काश्त आराजीयात विवादग्रस्त पर वसीयत की शरायतों के आधार पर प्रतिवादी गैरसायल नं0 1 ता 8 का ही है। इस प्रकार इस मद की सभी इबारत गलत अंकित करवा दी है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 8 गलत है, अस्वीकार है। नामान्तकरण संख्या 2115 का निर्णय दिनांक 27.06.2006 को होना स्वीकार है। जो अदालत हाजा द्वारा सही निर्णय किया गया है। बाकी इबारत एकदम गलत अंकित करवायी है। जो काबिले इखराज है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 गलत है, अस्वीकार है। मौके पर सायलान का एक इन्च भी जमीन पर कब्जा काश्त नहीं है। बाकी हिस्सेदारान आपसी सहमति के आधार पर अलग अलग काश्त कर रहें है। गैरसायल नं0 1 ता 8 अपने 1/3 हिस्से का अलग से काश्त कर रहे है। सायलान का जमीनों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 10 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है। स्वीकार नहीं है। मृतक श्यामलाल के वारिसान अपने 1/3 हिस्से पर काबिज है। जिसमें रमेश के वारिसान भी शामिल है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 11 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 11 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं0 15 अपने 1/3 हिस्से की आराजीयात पर काबिज एवं दखील है।

जबाव प्रार्थना–पत्र के मद नम्बर 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 12 गलत है, अस्वीकार है। सायलान का भूमि विवादग्रस्त से कोई सम्बन्ध नहीं है ना कभी पूर्व में रहा है। इसलिए उन्हें कोई क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विशेष विवरण :–

प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि मृतक कन्हैयालाल द्वारा अपने जीवन काल में अपने तीनों पुत्रों को उनकी इच्छा अनुसार मृतक कन्हैयालाल की चल व अचल सम्पत्ति से बंटवारा कर दिया था सायल राधेश्याम द्वारा पेश कीमती रिहायशी जमीन व कुछ सोन, चांदी के जेवरात लिये हरीचरण द्वारा 6 किलो चांदी के जेवरात व 10 तोला सोना व 65000/– रू नकद लिया तथा मृतक रामस्वरूप के पास आराजीयात विवादग्रस्त सम्पूर्ण मृतक कन्हैया के हिस्से की रही कालांतर में जमीनों की कीमतें बढने कारण पुनः सायलान के दिमाग में बदयांति आने लगी तो मृतक कन्हैया द्वारा बहक लीलादेवी वसीयत करवायी है मौके पर लीलादेवी के वारिसान आराजीयात विवादग्रस्त पर काबिज है। सायलान बहुत ही लालची व असामाजिक प्रवृति के व्यक्ति है। उन्होंने जीवन पर्यन्त अपने पिता कन्हैयालाल की देखभाल नहीं की। सेवा सुश्रुषा नहीं की, यहां तक की उसके दाह संस्कार व क्रिया कर्म तक में शामिल नहीं हुऐ और इसी प्रकार अपनी मा व भाई रामस्वरूप के साथ सायलान का बर्ताव रहा है। लालचवश ही गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दायर करवाया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा बनियत बदयांति मुकदमा दायर किया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 15 में दर्ज किया है कि सायल नं. 1 के पुत्र भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे है और आऐ दिन झगडा फिंसाद करते रहते है। मुकदमा हाजा बदयांति वश किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 16 में दर्ज किया है कि सायलान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए कब्जा के अभाव में कोई दादरसी प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 17 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा सभी मेटेरियल फैक्टस को छिपाकर हाईड एवं सीक सिद्धान्त के आधार पर मुकदमा दायर किया है। इसलिए वे इक्यूटेबिल रिलीफ प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करें।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल खतौनी वन्दोवस्त मौजा कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2000 लगायत 2019 किता 2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2037–40, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059–62, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 2115 फैंसल दिनांक 01.03.2004, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 11/2004 उनवानी श्रीमती लीलावती बनाम राधेश्याम वगैराह अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 2115 दिनांक 01.03.2004 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2006, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं0 9 ता 14 की ओर से दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड फोटो प्रति नकल खतौनी वन्दोवस्त मौजा कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2000 लगायत 2019 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2836 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1 बीघा 6 बिस्वा, 2873 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 2875 रकबा 1 बीघा, 2879 रकबा 16 बिस्वा, 2880 रकबा 15 बिस्वा, 2882 रकबा 12 बिस्वा, 2884 रकबा 5 बिस्वा, 2885 रकबा 7 बिस्वा, 2973 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी परसादी बल्द लोढी कौम ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल खतौनी वन्दोवस्त मौजा कस्बा हिण्डौन सम्बत् 2000 लगायत 2019 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 2993 रकबा 5 बिस्वा, 2996 रकबा 16 बिस्वा, 2999 रकबा 18 बिस्वा, 2991 रकबा 10 बिस्वा, 2992 रकबा 6 बिस्वा, 2993 रकबा 1 बीघा 2994 रकबा 9 बिस्वा, 2967 रकबा 7 बिस्वा, 2969 रकबा 18 बिस्वा, 2972 रकबा 14 बिस्वा, 2974 रकबा 6 बिस्वा, 2975 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 2993 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 14 कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी परशादी बल्द लोढी कौम ब्राहम्ण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
2836 मिन	1 बीघा 6 बिस्वा	3963	0.13
2993 मिन	3 बीघा 13 बिस्वा	5393	0.36
2993 मिन	—	5395	0.53
2883 मिन 2884 2885 2886	3 बिस्वा 5 बिस्वा 7 बिस्वा 16 बिस्वा	5458	0.37
2889 2890	18 बिस्वा 10 बिस्वा	5461	0.38
2894	9 बिस्वा	5472	0.11
2892	6 बिस्वा	5474	0.07
2891 2893	14 बिस्वा 1 बीघा	5475	0.44
2880 2882 मिन	15 बिस्वा 7 बिस्वा	5476	0.27
2879	16 बिस्वा	5480	0.28
2974 2975	6 बिस्वा 1 बीघा 12 बिस्वा	5397	0.55

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

2973 2972 मिन	5 बिस्वा —	5398	0.07
2875	1 बीघा	5455	0.25
2836 मिन	—	5458 / 9830	0.09
2836 मिन	—	5458 / 9829	0.10
2922 मिन	—	5506	0.16

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर–5458 / 9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर–5459 / 9830 रकबा 0.09 है0कुल किता 15, कुल रकबा 4.00 है0 वाके कस्बा–हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कन्हैया पुत्र विहारी हि0 1 / 3, रमेशचन्द रमाकान्त वेदप्रकाश पि0 श्यामलाल हि0ब0 हि0 1 / 3, महेन्द्र कुमार उर्फ महेश भारद्वाज दत्तक पुत्र रामजीलाल हि0 1 / 3 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 2115 दिनांक 01.03.2004 द्वारा कन्हैया की विरासत राधेश्याम हरीचरणलाल पि0 कन्हैया हि0 2 / 9, लीलावती बेबा रामस्वरूप कैलाश चन्द शिवचरण हीरा वीरेन्द्र दिनेश पि0 रामस्वरूप पुष्पा कमला दर्शनदेवी पुत्रियॉ रामस्वरूप हि0ब0 हि0 1 / 9 के नाम हुई दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं. 2115 फेंसल दिनांक 01.03.2004 के अनुसार मृतक कन्हैया पुत्र बिहारी जाति ब्राहम्ण हि0 1 / 3 की विरासत का नामान्तकरण राधेश्याम हरीचरणलाल पि0 कन्हैया हि0 2 / 9, लीलावती बेबा रामस्वरूप कैलाश चन्द शिवचरण हीरा वीरेन्द्र दिनेश पि0 रामस्वरूप पुष्पा कमला दर्शनदेवी पुत्रियॉ रामस्वरूप हि0ब0 हि0 1 / 9 के नाम भरकर तहसीलदार हिण्डौन द्वारा तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 11 / 2004 उनवानी श्रीमती लीलावती बनाम राधेश्याम वगैराह अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 2115 दिनांक 01.03.2004 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2006 में अंकित किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा कन्हैया लाल पुत्र श्री बिहारीलाल मुतबन्ना परसादीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन ने बहक अपीलान्ट दिनांक 23.06.1998 को रजिस्टर्ड कराया गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। नामान्तकरण सं0 2115 ग्राम हिण्डौन कन्हैयालाल खातेदार के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम खोला गया है। परन्तु वसीयतनामा की जॉच कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.03.2004 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हिण्डौन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि यदि विवादास्पद आराजी स्वअर्जित पाई जावे तो बाद जॉच पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण खोलकर नियमानुसार तस्दीक करावें।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2063–67 दिनांक 15.05.2007 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर–5458/9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर–5459/9830 रकबा 0.09 है0, कुल किता–15, कुल रकबा–4.00 है0,वाके कस्बा–हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी राधेश्याम हरीचरणलाल पि0 कन्हैया हि0 2/9, लीलावती बेबा रामस्वरूप कैलाश चन्द शिवचरण हीरा वीरेन्द्र दिनेश पि0 रामस्वरूप पुष्पा कमला दर्शनदेवी पुत्रियॉ रामस्वरूप हि0ब0 हि0 1/9, रमेशचन्द रमाकान्त वेदप्रकाश पि0 श्यामलाल हि0ब0 हि0 1/3, महेन्द्र कुमार उर्फ महेश भारद्वाज दत्तक पुत्र रामजीलाल हि0 1/3 जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 2115 की अपील स्वीकार होने एवं दिनांक 29.12.2008 को पुनः निर्णय होने पर कन्हैया पुत्र बिहारी की विरासत राधेश्याम हरीचरणलाल पि0 कन्हैया हि0 2/9, कैलाशचन्द शिवचरण हीरा वीरेन्द्र दिनेश पि0 रामस्वरूप पुष्पा कमला दर्शनदेवी पुत्रियॉ रामस्वरूप हि0ब0 हि0 1/9 के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0,कुल किता 6 कुल रकबा 2.02 है0 वाके कस्बा–हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी आशा शर्मा पत्नि वेदप्रकाश चतुर्वेदी हि0 1/6, कमला पुत्री रामस्वरूप हि0 1/72, कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, दर्शनदेवी पुत्री रामस्वरूप

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हि0 1/72, दिनेश पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, पुष्पा पुत्री रामस्वरूप हि0 1/72, ममता चतुर्वेदी पत्नि पवन चतुर्वेदी हि0 1/6, रमेशचन्द पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, रमाकान्त पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, राधेश्याम पुत्र कन्हैया हि0 1/9, वेदप्रकाश पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, वीरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, शिवचरण पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, हरीचरणलाल पुत्र कन्हैया हि0 1/9, हीरा पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, जातियान ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5458/9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर– 5459/9830 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.98 है0 वाके कस्बा–हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कमला पुत्री रामस्वरूप हि0 1/72, कैलाशचन्द पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, दर्शनदेवी पुत्री रामस्वरूप हि0 1/72, दिनेश पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, पुष्पा पुत्री रामस्वरूप हि0 1/72, योगेश कुमार शर्मा पुत्र भरतलाल शर्मा हि0 1/6, रमेशचन्द पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, रमाकान्त पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, राधेश्याम पुत्र कन्हैया हि0 1/9, वेदप्रकाश पुत्र श्यामलाल हि0 1/9, वेदप्रकाश चतुर्वेदी पुत्र विशम्भरदयाल हि0 1/6, वीरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, शिवचरण पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, हरीचरणलाल पुत्र कन्हैया हि0 1/9, हीरा पुत्र रामस्वरूप हि0 1/72, जातियान ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी आराजी हाल खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर–5458/9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर–5459/9830 रकबा 0.09 है0, कुल किता 15, कुल रकबा 4.00 है0 वाके कस्बा–हिण्डौन तहसील हिण्डौन के सायलान एवं गैरसायलान मुताविक राजस्व रिकार्ड सहखातेदार काश्तकार है तथा सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत् गैरसायलान को दावे के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

से पाबन्द कराने की अधिकारी साबित है। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सायलान के दावा के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और विवाद नहीं बढे। ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी आराजी हाल खसरा नम्बर 3963 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर–5393 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर–5395 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर–5397 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर–5398 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5455 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर–5458 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर–5461 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर–5472 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर–5474 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर–5475 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर–5476 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर–5480 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर–5458/9829 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर–5459/9830 रकबा 0.09 है0, कुल किता–15, कुल रकबा–4.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली